

आज दिनांक 21.07.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य-

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 10-10 लीटर कुल 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1 – विनोद यादव पुत्र रामाश्रय निवासी किशुनपुर 2 – दुर्गेश निषाद पुत्र रामसुमेर निवासी ग्राम घोरहट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर क्रमशः मु0अ0सं0 220 / 2022 व 221 / 2022 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी चौकी शनिचरा बाबू उ0नि0 श्री रमेश यादव, हे0का0 बृजेश मिश्र।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना दुधारा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2545 द्वारा ब्लेड से नस काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किये व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 2545 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत नेदुला से इवेन्ट संख्या 15486 से कालर डाली सिंह ने किराये पर निवास कर रहे व्यक्ति (फरीद खाँ नेदुला चौराहा) द्वारा ब्लेड से नस काटकर आत्महत्या का प्रयास करने के संबंध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर आत्महत्या का प्रयास कर रहे व्यक्ति को एम्बुलेंस 108 से जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा दुर्घटना के संबंध मे थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं

सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर आत्महत्या का प्रयास कर रहे व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 सुदामा प्रसाद, म0आ0 अंशु यादव, म0आ0 नीलम यादव, हो0चा0 रवीन्द्र यादव।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 63 वाहनो से 53500 रु0 सम्मन वसूल किया गया

आज दिनांक 21.07.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 63 वाहनो से 53500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया।